

पुलिस विभाग जिला-अजमेर

।। प्रेस नोट दिनांक 24.08.2017 ।

वांछित अपराधी 12 वर्ष से फरार चल रहा था। थाना गंज ने किया गिरफ्तार



पुलिस थाना गंज मे माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. न. 02 अजमेर द्वारा जारी स्थाई वारण्ट सी.आर. न. 599/05 में थाना की टीम भागचन्द सुमेर कुमार नेमीचन्द द्वारा जोधपुर से दस्तायाब कर वांछित सुरेश पुत्र तेजपाल जाति सोनी उम्र 40 साल नि. गांव देराठू थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वांछित सुरेश 12 वर्ष से फरार था।

2 लीटर हथकड शराब जप्त, व मुल्जिमा आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 24.08.17 को कंजर बस्ती चौराया रामगंज अजमेर पर विजय कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिमा काली उर्फ मंजू देवी पत्नि श्री रणजीत जाति कंजर उम्र 42 साल निवासी कंजर बस्ती रामगंज अजमेर थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से अवैध 2 लीटर हथकड शराब को जप्त किया जाकर मुल्जिमा को गिरफ्तार कर मुल्जिमा के विरुद्ध मु0न0 240/17 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम मे दर्ज किया गया।

ट्रेन से गिरने से आर्मी जवान की मौत, मर्ग दर्ज



पुलिस थाना रामगंज क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के पास रेलवे लाईन ट्रेक के पास आज दिनांक 24.08.17 को एक व्यक्ति की मौत की सूचना पर जाकर देखा गया तो उक्त मृतक व्यक्ति श्री सुभाष कुमार एस पुत्र सोमन पिल्लैड उम्र 32 साल जाति नायर निवासी सूरानद नोर्थ कोल्लम केरला हाल लान्स नायक युनिट 1872 आर.के.टी. रेजिमेंट नसीराबाद केंट अजमेर का होना ज्ञात हुआ जिस पर प्रार्थी विजय सिंह पुत्र भंवर लाल चौधरी जाति जाट

निवासी दौराई थाना रामगंज अजमेर की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर जांच जारी है।

सात साल से फरार स्थाई वारण्टी गिरफ्तार



पुलिस थाना दरगाह में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर द्वारा चलाये जा रहे वाछिंत अपराधीयो की गिरफ्तारी अभियान की कडी मे थानाधिकारी मानवेन्द्र सिंह द्वारा पुलिस थाना दरगाह अजमेर कानाराम सउनि ,अब्दूल रहीम ,सुभाषचन्द की टीम बनाकर पशिचम बंगाल के फरार चल रहे वारटीयो की तलाश हेतु भेजा गया । टीम द्वारा भरसक प्रयास करते हुऐ करीब 7 साल

से थाना दरगाह अजमेर के मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण संख्या 60/2010 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट मे फरार चल रहे स्थाई वारण्टी नासीर पुत्र रशीद उम्र 49 साल जाति मुसलमान निवासी तुकीबार झोपडा थाना पटासपुर जिला मेदनीपुर पश्चीम बंगाल को पटासपुर जिला मेदनीपुर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया उक्त वारटी को पकड़ने के लिये टीम द्वारा कडी मेहनत की गई जिससे उक्त वारटी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। जिसे आज संबंधीत न्यायालय में पेश किया गया ।

स्थाई वारन्टी एक वारन्टी

गिरफ्तार

पुलिस थाना अराई में एक स्थाई वारन्टी में भेरू लाल पुत्र जेठा लाल निवासी बडोदरा गुजरात से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस थाना क्लॉक टावर में एक स्थाई वारन्टी तामिल व एक गिरफ्तारी वारन्ट में वारन्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना ब्यावर सिटी में आज दिनांक 24.08.2017 को दो स्थाई वारन्टी गिरफ्तार किया गया।पुलिस थाना सिविल लाईन में एक स्थाई

वारन्टी तामिल पुलिस थाना नसीराबाद सदर में 6 वारन्टी तामिल करवाया गया।

पुलिस थाना किश्चनगंज में एक स्थाई

वारन्टी तामिल

पुलिस थाना किश्चनगंज में आज दिनांक 24.08.2017 को एक स्थाई वारन्टी तामिल 1.नारायण लाल पुत्र शंकर लाल निवासी ओधं कुम्भल गढ राजसंमद से स्थाई वारन्टी गिरफ्तार किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में विश्राम हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा रात्री में गस्त एंव जरायम कंट्रोल के दौरान कस्बा केकडी में मोटरसाईकिल मनीष पुत्र कैलाश उम्र 19 वर्ष जाति प्रजापत निवासी भैरूगेट केकडी को शराब पीकर वाहन चलाते गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना पीसांगन में सांयकार्लिन गस्त करते हुए एच सी 10 अहमद काठात मय जाप्ता जीप के समय करीब 9-30 पी एम पर बस स्टेड पहुंचे तभी मुखबीर खास ने इत्तला दा का दा एक व्यक्ति जिसका नाम हनुमान पुत्र नौरतमल जाति हरिजन

निवासी बस्सी मोहल्ला हरिजन कांलोनी पीसांगन जो सेठन दरवाजा चोराहे पर खडा है जिसके पास एक प्लास्टिक का सफेद कटा है जिसमे देशी शराब के पवे है जो वहां खडे होकर ग्राहको को बेच रहा है इत्तला मौमिल होने पर मौके पर जाकर दबीश दा ओर हनुमान हरिजन से देशी शराब के 29 पव्वे जप्त कर गिरफ्तार किया जाकर मु न 107/17 धारा 20/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम म दज किया गया

ध्वनि प्रदुषण म एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना पीसांगन में टास्क कायवाहा व जुरायम कंट्रोल हेतु थाना हाजा से सर्जन अमरचंद्र मय जाप्ता जीप के गस्त करते हुए समय करीब 07- 20 6514जीए 21पीएम के आस पास पहुंचा तो एक पीकएफ नंबर आरजे का चालक तेज आवाज मे बाबा रामदेव जी के गाने बजाता हुआ आता दिखाई दिया जिसेसी एच सी पीसांगन के सामने ईशारा देकर रोका व नाम पता पुछा तो अपना नाम गोपाललाल पुत्र रतनलाल जाति कुमावत उम्र गुलाबपुरा तहसील डेगाना थाना थांवला साल निवासी 36 जिला नागौर बताया जिसके विरुद्ध प्रकरण संख्या 106/4धारा 17/ 6 आरएनसी एक्ट म दज किया गया

शांति भंग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार



पुलिस थाना मसूदा मे 1. सीता देवी पत्नि कालूसिंह जाति रावत उम्र 40 साल निवासी जीवाणा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. रेखादेवी पत्नि श्री महावीर जाति रावत उम्र 22 साल निवासी जीवाणा थाना मसूदा अजमेर 3. श्री कालूसिंह पुत्र श्री गोकल जाति रावत उम्र 45 साल निवासी जीवाणा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर को धारा 151 जा फौ में गिरफ्तार किया गया

पुलिस थाना कोतवाली में पिछले 24 घण्टों में कार्यवाही करते हुये शांति व्यवस्था भंग करने वाले 11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 जाफौ में गिरफ्तार किया है

शान्तिभंग के आरोप में तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में शिवचरण हैड कानि0 द्वारा मुकेश पुत्र रतनलाल जाति तेली उम्र 35 साल निवासी अजमेरी गेट केकडी थाना केकडी थाना केकडी जिला अजमेर को शान्तिभंग में गिरफ्तार किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 1 व्यक्ति गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज क्षेत्र में शांती व्यवस्था भंग करने पर शैलेश कंवरिया उर्फ शैलू पुत्र दुर्गेश जाति रेगर उम्र 19 साल निवासी गली नं. 12 सुभाषनगर खानपुरा रोड पुलिस थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफ्तार किया गया।

185 एमवी एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना कोतवाली में तथा शराब पीकर वाहन चलाते एक शख्स के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट में कार्यवाही की गई। हाथठैले लगाकर मार्ग अवरुद्ध करने वाले 05 हाथठैला संचालकों के खिलाफ 60 पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गई।

दौराई म करंट लगने से हुई 5 भर्सा का मौत। लोगों ने जताया
रोष। पुलिस ने का समझाईस।

पुलिस थाना रामगंज म ग्राम पंचायत दौराई म बिजला का करंट लगने से पांच भर्सा का मौत हो गई। गनीमत रहो कि घटना म भर्सा का मालिक करंट का चपेट म नहां आया। घटना सुबह का है जब पांच भर्सा के साथ उनका मालिक एक खेत से गुजर रहा था। वहां एक नंगा तार पड़ा था। जिसका चपेट म एक के बाद एक भर्सा आती गई और काल का ग्रास बन गई। घटना के बाद लोगों ने नाराजगी जताते हुए रोष व्यक्त कर रास्ता रोक दिया। मौके पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने लोगों को समझाकर आवागमन शुरू कराया।

गिरफ्तारी वारन्ट में एक वारन्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना रूपनगढ मे गिरफ्तारी वारन्टी मुल्जिम मोहन पुत्र खेमाराम जाति जाट उम्र 55 साल निवासी अमरपुरा थाना रूपनगढ जिला अजमेर

को गिरफ्तार कर न्यायालय ऐ.डी.जे. साहब किशनगढ जिला अजमेर को पेश किया ।

पुलिस थाना रूपनगढ मे 2 इन्टरसेप्टर वाहन से 15 चालान एम. वी एक्ट के तहत किये गये